

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2018

क्रमांक:- भू.अ. / 2018 /

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जसकुमार पिता रामा नि.  
राजपुरी प.ह. सतपुरा के राजस्व ग्राम राजपुरी में जमाबन्दी संवत् 2078-281  
की खाता संख्या 156 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम जसकुमार किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम जसकुमार का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुरूपित ज.स.  
श्रेणी के हो अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 12  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

*Fohul*  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- 16/10/2018

क्रमांक:- सी.डर / 2018 / 804

निमित्त,

पटवार हल्का सतपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री जसकुमार पिता रामा  
राजस्व ग्राम राजपुरी प.ह. सतपुरा की खाता संख्या 156 में  
जाति/नाम जसकुमार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जसकुमार पिता रामा  
जाति/नाम जसकुमार एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. सतपुरा राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ